प्रार्थना पत्र संख्या :– 93 / 2022
गजराज आदि बनाम मनीषा आदि
निर्णय दिनांक :– 24–05–2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

जी.सी.एम.एस. नम्बर :–

राजस्व वाद संख्या :– 93 / 2022

2022 / 158

1. गजराज पुत्र किशनलाल उम्र 38 वर्ष
2. वेदप्रकाश पुत्र विश्म्भरदयाल उम्र 50 वर्ष
3. सत्यवीर पुत्र विशम्भरदयाल उम्र 52 वर्ष

} जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... **आवेदकगण**

बनाम

1. मनीषा पुत्री रामकरण
2. रमाकान्त पुत्र रामकरण
3. शर्मिला देवी पत्नि रामकरण

} जातिगण अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जि.झुन्झुनू (राज.)

4. किशनलाल पुत्र मोगर
5. जसराम पुत्र मोगर
6. धापादेवी पत्नि विश्म्भर
7. पनीप पुत्र हरनन्द
8. भादर पुत्र डेडा
9. हेतराम पुत्र डेडा
10. चन्द्रभान पुत्र रामस्वरूप
11. फुलचन्द पुत्र रामस्वरूप
12. रामकुवार पुत्र श्योराम

} समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

13. सरति पत्नि भूराराम
14. विजयसिंह पुत्र भूराराम
15. दूलीचन्द पुत्र भूराराम

} समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

[illegible] तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

16. कमला पुत्री भूराराम जाति अहीर निवा[illegible] तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
17. मुन्नी पुत्री भूराराम जाति अहीर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 93/2022
गजराज आदि बनाम मनीषा आदि
निर्णय दिनांक :– 24–05–2022

18. शेरसिंह पुत्र सांवलराम
19. सुरेश कुमार पुत्र सांवलराम
20. ओमप्रकाश पुत्र धोकलराम
21. हिमतसिंह पुत्र धोकलराम
22. जयप्रकाश पुत्र धोकलराम

} समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

23. चान्दकौर पुत्री धोकलराम जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

24. शान्ति देवी पत्नि भाताराम
25. सुमेरसिंह पुत्र भाताराम
26. जगदेव सिंह पुत्र भाताराम

} जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

27. विमला पुत्री भाताराम जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

28. शीशराम पुत्र सरदारा राम
29. मेहरचन्द पुत्र सरदारा राम
30. रामपत पुत्र सरदारा राम

} जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

31. सन्तोष पुत्री सरदारा राम जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

32. महावीर पुत्र सेवाराम
33. रघुवीर पुत्र सेवाराम
34. भाती देवी पत्नि बलबीर
35. दलीप पुत्र बलबीर
36. हरलाल पुत्र बलबीर
37. दयाराम पुत्र बलबीर

} समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

38. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कंला जरिये शाखा प्रबन्धक पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
39. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिर्र जरिये शाखा प्रबन्धक भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
40. ग्राम पंचायत पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
41. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)

.... अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 93/2022
गजराज आदि बनाम मनीषा आदि
निर्णय दिनांक :– 24–05–2022

आवेदन पत्र – धारा 111, 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत पत्थरगढी

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता आवेदक की ओर से ।
2. अनावेदकगण संख्या 2, 3, 10 से 12 की ओर से श्री विजयपाल एवं श्री जगदेव अधिवक्ता उपस्थित आये तथा शेष के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :–

दिनांक – 24–05–2022

आवेदकगण की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र बाबत पत्थरगढी इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि आवेदकगण की खातेदारी की भूमि गांव नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. में स्थित है जिसके ख.न. 755/648 रकबा 0.08 है. तथा ख.न. 757/651 रकबा 0.07 है. किता 2 रकबा 0.15 है. है इस भूमि में आवेदक सं. 1 का 1/4 आवेदक सं. 2 का 3/8 , आवेदक सं. 3 का 3/8 हिस्सा है आवेदकगण अपनी भूमि पर काबिज है।
2. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.न. 757/651 के उत्तर में ख.न. 758/651 रकबा 0.06 है. स्थित है। जो अनावेदक सं. 1 लगायत 3 की है जो आवेदकगण के साथ सीमा का विवाद रखते है आवेदकगण की भूमि ख.न. 757/651 के पश्चिम में भूमि ख.न. 756/648 स्थित है यह भूमि भी अनावेदक सं. 1 लगायत 3 के नाम है जो आवेदकगण से सीमा का विवाद रखते है तथा दक्षिण में ख.न. 832/651 रकबा 0.05 है. स्थित है जो अनावेदक सं. 12 के नाम दर्ज है। तथा दक्षिण में ही ख.न. 833/651 रकबा 0.05 है. स्थित है जो अन्नावेदक सं. 10 एवं 11 के नाम दर्ज है। आवेदकगण की भूमि के पूर्व में भूमि ख.न. 653 रकबा 0.12 है स्थित है जो अनावेदक सं. 13 लगायत 17 के हकपूर्वाधिकारी भूराराम के नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तथा पूर्व में ही ख.न. 652 रकबा 0.12 है. स्थित है जो अनावेदक सं. 20 लगायत 23 के हकपूर्वाधिकारी धोकलराम अनावेदक सं. 24 लगायत 27 के हकपूर्वाधिकारी भाताराम अनावेदक सं. 28 लगायत 31 के हकपूर्वाधिकारी सरदारा राम एवं नन्दराम के नाम है नन्दराम नाऔलाद फौत हो गया अनावेदक सं. 28 लगायत 31 ही उसके उत्तराधिकारी है तथा खातेदार श्योनारायण पुत्र फता की [illegible] मृत्यु हो गई है तथा खातेदार सेवा पुत्र फता की भी मृत्यु हो चुकी है श्योनारायण एवं से[illegible] [illegible]सान अनावेदक सं. 32 लगायत 37 है।
3. यह कि भूमि ख.न. 755/648 रकबा 0.08 है. आवेदकगण की खातेदारी की भूमि है जिसके पूर्व में ख.न. 758/651 अनावेदक[illegible] 1 लगायत 3 के नाम दर्ज उनकी खातेदारी की भूमि है तथा इसके दक्षिण में भूमि ख.न. 756/648 अनावेदकगण सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

लगायत 3 के नाम खातेदारी में दर्ज भूमि है तथा उत्तर में भूमि ख.न. 649 रकबा 0.11 है. जो अनावेदक सं. 4 लगायत 9 के नाम दर्ज है तथा पश्चिम में भूमि ख.न. 246 रकबा 5.66 है. स्थित है जो अनावेदक सं. 40 के नाम दर्ज है।

4. यह कि आवेदकगण ने अपनी खातेदारी की भूमि ख.न. 755/648 एवं 757/651 का तहसीलदार महोदय सिंघाना के आदेश से दिनांक 28.01.2022 को सीमाज्ञान करवाया है सीमाज्ञान में अनावेदक सं. 1 लगायत 3 ने बाधा पहुँचाई तो पुलिस इमदाद से पटवारी एवं गिरदावर ने सीमाज्ञान करवाया है सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

5. यह कि अनावेदक सं. 1 लगायत 3 सीमाज्ञान के आधार पर सीमाओं को कायम नही रहने देते है सीमा का विवाद करते है एवं अपनी सीमा को आवेदकगण की भूमि में कायम करने की नियत से लड़ाई झगड़ा करते है जिससे सीमा विवाद बना हुआ है एवं अनावेदक सं. 1 लगायत 3 पुख्ता सीमा चिन्ह कायम नही करने देते है एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 के आधार पर सीमाऐ कायम नही रहने देते है इसलिये आवेदकगण के लिये आवश्यक हुआ है कि वे अपनी भूमि की सीमाऐ कायम करवाये पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाये अर्थात पत्थरगढी करवाये इसलिये आवेदकगण के लिये यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि अनावेदक सं. 4 लगायत 40 की भूमि की सीमाऐ आवेदकगण की भूमि की सीमाओं से सटकर है इसलिए उनको आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

7. यह कि आवेदन पत्र में वर्णित भूमि वाके ग्राम नावता में स्थित है इसलिए यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

8. यह कि आवेदन पत्र 2/रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

9. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथपत्र पेश है।

अतः आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) कि आवेदकगण की भूमि ख.न. 755/648 रकबा 0.08 है. तथा ख.न. 757/651 रकबा 0.07 है. किता 2 रकबा 0.15 है. का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 के अनुसार पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाये जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की कृपा करे एवं अनावेदकगण द्वारा बाधा कारित करने की स्थिति में पुलिस इमदाद से अनावेदक सं. 41 तहसीलदार बुहाना को सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाने की कृपा करे।

आवेदन पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण [illegible]री की गई । अप्रार्थीगण सं. 2,3,10,11,12 की ओर से एडवोकेट श्री [illegible] व विजयपाल ने वकालतनामा पेश किया, लेकिन कोई जवाब पेश नहीं किया इसलिए जवाब बन्द किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामील [illegible] विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई आवेदकगण की सुनी गई [illegible] राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया आवेदकगण भूमि ख.न. 755/648 एवं ख.न. 757/651 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

खातेदार है सीमाज्ञान भी करवा चुके है इसलिए सीमा विवाद का स्थाई समाधान किये जाने हेतू आवेदकगण अपनी भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाने के अधिकारी है।

–:आदेश:–

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नावता स्थित भूमि ख.न.755 / 648 व ख.न. 757 / 651 किता 2 रकबा 0.15 है. का सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 24–05–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested